न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष
आर0के0 मिश्रा
सदस्य
निगरानी प्र0क0–5060–II / 17 विरूद्ध आदेश दिनाक 04 / 01 / 17
पारित द्वारा – कलेक्टर, जिला रीवा का प्रकरण क्रमांक–
15 / अ–6 / स्व0निग0 / 2015–16

प्रेमवती पत्नी महेन्द्र मिश्रा, निवासी ग्राम पतेरी, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

——— निगरानीकर्ता / आवेदिका

बनाम

1– सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

2– नरेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

3– महेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

4– रावेन्द्र कुमार तनय स्व0 रामाधार शर्मा,

5– कुसुमकली पत्नी स्व0 रामसजीवन ब्रा0

सभी निवासी ग्राम जितौही, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

———गैरनिगरानीकर्ता / अनावेदकगण

(आवेदक द्वारा श्री विकास मिश्रा अभिभाषक)
(अनावेदकगण द्वारा श्री शिव प्रसाद द्विवेदी अभिभाषक)

आदेश

(आज दिनांक 23/7/18 को पारित)

निगरानीकर्ता की ओर से कलेक्टर जिला रीवा के प्रकरण क0–15–अ–6 / स्वमेव निगरानी / 15–16 में पारित आदेश दिनांक 04 / 01 / 17 के विरूद्ध निगरानी इस न्यायालय में म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 जिसे संक्षेप में मात्र संहिता लिखा जावेगा की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई ।

2— मामले का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मड़वा, तहसील हुजूर, जिला रीवा स्थित भूमि खसरा नं0—1561 रकवा 0.53 ए0 व 1562 रकवा 2.24 ए0 मुस0 लल्ली वेवा रामप्रताप ब्रा0, निवासी ग्राम मड़वा के नाम राजस्व अभिलेखो में अभिलिखित थी जिसका बिना किसी वैध अंतरण व बिना किसी आधार के ग्राम मड़वा की पंजी क0—24 दिनांक 30/06/87 का गलत विवरण दे करके निगरानीकर्ता प्रेमवती के नाम राजस्व अभिलेखो में प्रवृष्टि अंकित कर दी गई, इस सम्बन्ध में कलेक्टर जिला रीवा के यहां शिकायत होने पर उनके द्वारा नायब तहसीलदार वृत्त गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा से जॉच कराई गई । नायब तहसीलदार द्वारा उनका विस्तृत जॉच प्रतिवेदन कमांक—2/अ—6/97—98 दिनांक 21/09/98 अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर, जिला रीवा के माध्यम से कलेक्टर रीवा की ओर भेजा गया कि *"ग्राम मड़वा राजस्व निरीक्षक मण्डल गोविन्दगढ़, तहसील हुजूर, जिला रीवा की नामांतरण पंजी क0—24 वर्ष 1986—87 में पारित आदेश दिनांक 03/06/87 में भूमि खसरा नं0—1561 रकवा 0.53 ए0 व 1562 रकवा 2.24 ए0 का कोई आदेश प्रेमवती पत्नी महेन्द्र मिश्रा, निवासी पतेरी के नाम पारित नही किया गया है, बल्कि उक्त पंजी कमांक में अन्य भूमियां अन्य व्यक्तियों के नाम पर प्रवृष्टि अंकित है, इस प्रकार पंजी क0—24 दिनांक 30/06/1987 की झूठी प्रवृष्टि का हवाला देकर अभिलेख में तब्दीली करना पूर्णतः अवैध प्रतीत होता है ।"*

3— नायब तहसीलदार के उक्त प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर द्वारा उनके न्यायालय में प्रकरण क0—24/अ—6/स्वमेव निगरानी/ 98—99 द्वारा दिनांक 10/11/98 को स्वमेव निगरानी में मामला दर्ज कर, निगरानीकर्ता प्रेमवती को संहिता की धारा 50 के तहत कारण बताओं नोटिस जारी की गई जिसका जवाब उसके तरफ से दिया गया । तत्पश्चात् दिनांक 10/05/2014 को निगरानी प्रथम दृष्टया समाप्त कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता ने अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई, जिस पर आयुक्त द्वारा प्रकरण क0—164/निगरानी/

2005–06 पंजीबद्ध कर, उभयपक्षों की सुनवाई कर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 10/05/2014 निरस्त करते हुये, पुनः जॉच करने, पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर देते हुये विधिवत् आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया ।

4– अपर आयुक्त रीवा के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 23/03/10 के निर्देश में कलेक्टर द्वारा नये सिरे से मामला क0–150/अ–6/ स्वमेव निगरानी/09–10 दर्ज करते हुये उभयपक्षों को तलब किया गया एवं दिनांक 17/07/2012 को पूर्व में पारित कलेक्टर का आदेश दिनांक 10/05/2004 में किसी फेरफार की आवश्यकता न समझते हुये यथावत् रखा गया ।

5– कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 17/07/12 से व्यथित होकर गैरनिगरानीकर्तागण द्वारा म0प्र0 राजस्व मण्डल में पुनः निगरानी दायर की गई, जिसमें राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क0–2362II/12 पंजीबद्ध करते हुये उभयपक्ष की सुनवाई कर कलेक्टर रीवा का आदेश दिनांक 17/07/12 यथावत् रखा गया और गैरनिगरानीकर्ता की निगरानी दिनांक 30/01/16 को खारिज कर दी गई, जिसके विरूद्ध गैरनिगरानीकर्ता रामसजीवन के वारिसान कुसुमकली वगैरह व अन्य के द्वारा इस न्यायालय में रिव्यू प्रकरण क0–498–II/13 दायर की गई जिस पर उभयपक्ष की सुनवाई करते हुये पूर्व आदेश दिनांक 03/01/13 को ~~मूल आदेश~~ परिवर्तित कर दिनांक 15/07/2013 ~~परिवर्तित करके~~ के आदेश द्वारा पुनः गुण दोष पर सुनवाई हेतु पुर्नविलोकन आवेदन स्वीकार किया गया है । तदोपरांत नये सिरे से प्रकरण में उभयपक्षो की सुनवाई कर कलेक्टर रीवा का आक्षेपित आदेश दिनांक 17/07/12 निरस्त करते हुये यह निर्देशित किया गया कि "प्रकरण क0–150/अ–6/स्वमेव निगरानी/09–10 को खोले एवं जॉच परीक्षण आदि व पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुये उनके आदेश के पैरा–4 में लिखे बिन्दुओं पर निष्कर्ष निकालते हुये, बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें ।"

6— इस न्यायालय के पूर्वाधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव जी के उक्त प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 31/03/2016 के अनुपालन में कलेक्टर रीवा द्वारा पुनः नये सिरे से प्रकरण क0—15/ अ—6/स्वमेव निगरानी/15—16 पंजीबद्ध करते हुये उभयपक्ष को आहूत किया गया । कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 09/07/2016 को उभयपक्षों के तर्क को सुना एवं मामले में वाद बिन्दु निर्धारित कर अधीक्षक भू—अभिलेख रीवा से विस्तृत प्रतिवेदन देने हेतु आदेशित किया गया । अधीक्षक भू—अभिलेख रीवा द्वारा विस्तृत प्रतिवेदन दिनांक 27/03/2016 को प्रेषित किया गया, तत्पश्चात् उभयपक्ष द्वारा लिखित बहस पेश करने के उपरांत कलेक्टर रीवा द्वारा दिनांक 04/01/2017 को विस्तृत विवेचना कर अंतिम आदेश पारित किया गया । जिसमें निगरानीकर्ता प्रेमवती के नाम पर की गई अवैध प्रवृष्टि को निरस्त करते हुये, संहिता की धारा 177 के तहत कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार, तहसील हुजूर को आदेशित किया गया । साथ ही राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही एवं पटवारी के विरूद्ध उसके द्वारा दो समानान्तर नामांतरण पंजी अवैधानिक रूप से शासकीय अभिलेख मे हेरा—फेरी करने के प्रयोजन से संधारित करने के आरोप में उसके विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेशित किया गया । कलेक्टर के इसी प्रश्नाधीन आदेश के विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी दायर की गई है ।

7— अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । गैरनिगरानीकर्ता की ओर से एक आपत्ति आवेदन पेश किया गया, जिसकी प्रति निगरानीकर्ता के अधिवक्ता को दस्तावेजों की प्रतियों सहित जवाब हेतु दी गई, किन्तु निगरानीकर्ता की ओर से जवाब नही दिया गया । उभयपक्ष के तर्क सुने गये तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया । मूल रूप से मामले में यह बिन्दु निहित है कि क्या वास्तव में निगरानीकर्ता प्रेमवती के हक में विधि अनुसार पूर्व में कोई नामांतरण हुआ था और क्या स्वप्रेरणा निगरानी में जो प्रकरण

लेकर कार्यवाही शुरू की गई और तदानुसार राजस्व मण्डल के आदेश दिनांक 31/03/2016 के अनुशरण में आलोच्य आदेश पारित किया गया, उसमें सारभूत कोई त्रुटि है कि नही ?

8— मूल बिन्दु नामांतरण से सम्बन्धित है, उसके सम्बन्ध में निगरानी प्रकरण क0—2362—II/12 में पारित आदेश दिनांक 31/03/2016 में, जो बिन्दु राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित किया गया उसको ध्यान में रखकर आलोच्य आदेश पारित किया गया जो कि राजस्व मण्डल के उक्त पूर्ववर्ती आदेश दिनांक 31/03/2016 की कण्डिका—4 में पूर्वाधिकारी महोदय ने जो निष्कर्ष दिया है वह निष्कर्ष अंतिम था, उस निष्कर्ष को किसी वरिष्ठ न्यायालय ने चुनौती नही दी गई, उसके अनुसार निम्न बिन्दु स्पष्ट है :—

अ— एक ही वर्ष की एक ही गांव की एक ही नामांतरण पंजी होगी और पंजी क0—24 के आदेश दिनांक 30/06/87 के द्वारा जो प्रेमवती के नाम नामांतरण होना लेख था उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों की अन्य भूमियों का नामांतरण प्रमाणित हुआ था, वैसे भी एक के बाद एक निरंतर सरल कमांक के बाद पंजी दर्ज होती है तो जो दूसरी पंजी पुनः कमांक—1 से 24 तक की प्रवृष्टि तैयार करके कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुई थी, वह सही नही थी और यदि दूसरी पंजी संधारित भी होती तो कम संख्या दूसरी पंजी में पुनः एक से लेकर आगे के क्रमांक की निरंतरता में दर्ज नही होनी चाहिए ।

ब— वसीयत के आधार पर नामांतरण होना जो निगरानीकर्ता प्रेमवती की ओर से दर्शाया गया है इस हेतु तो पंजी में नामांतरण प्रमाणित करने की व्यवस्था ही नही है, बल्कि वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण का आवेदन पेश होने पर धारा 109, 110 के उपबंधों के आधार पर नामांतरण होने के पूर्व वसीयतनामा को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबंधों के तहत साक्ष्य लेकर नामांतरण प्रमाणित किये जाने की व्यवस्था है ।

स— जो दूसरी नामांतरण पंजी वाद में प्रस्तुत हुई उसमें प्रेमवती या अन्य किसी हितबद्ध पक्षकार के हस्ताक्षर नही है, बल्कि उसमें आवेदक के स्थान में "बालेन्द्र शेषर मिश्रा" के हस्ताक्षर होना दर्शित है । यह कौन व्यक्ति है, ऐसा स्पष्ट नही होता ।

द– *उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के उपरांत कलेक्टर रीवा के समक्ष प्रथम सुनवाई में जब मामला लिया गया तो आदेश के पूर्व भू–अभिलेख रीवा से प्रतिवेदन मंगाया गया । अधीक्षक भू–अभिलेख द्वारा प्रतिवेदन क0– 122/18/भू–अभिलेख/शिकायत/2016 रीवा दिनांक 27/09/16 प्रस्तुत किया गया, जिसमें विस्तार से सभी बिन्दुओं का विवरण है और जो दो अलग–अलग नामांतरण पंजी संधारित की गई थी उसके संदर्भ में यह लेख है कि "दोनो नामांतरण पंजिया एक ही दिनांक 30/06/87 को एक से लेकर क्रमांक–सत्ताईस तक एवं पुनः क्रमांक–एक से लेकर तीस तक, नामांतरण प्रमाणित किये गये है जो संदेहास्पद व आपत्तिजनक है । अतः जो नामांतरण पंजी बाद में प्रेमवती के नाम संधारित की गई है वह संदेहास्पद है ।" यह भी लेख है कि मामले में वसीयत संलग्न ही नही है ।*

9– उक्त प्रत्यावर्तन आदेश के बाद कलेक्टर ने जो आलोच्य आदेश पारित किया उसमें उन्होने सभी बिन्दुओं का विस्तार से विवरण दिया । निगरानी ज्ञापन में विभिन्न बिन्दु वर्णित हैं, लेकिन ऐसा कोई सारवान तथ्य वर्णित नही है कि कलेक्टर रीवा के आदेश दिनांक 04/01/17 में क्या त्रुटि है । यह स्पष्ट किया जा रहा है कि निगरानीकर्ता की तरफ से वादग्रस्त भूमियों में यदि उसका स्वत्व होना कहा जा रहा है तो राजस्व न्यायालय से ऐसा स्वत्व का निराकरण नही हो सकता और नामांतरण से किसी को स्वत्व प्राप्त भी नही हो सकता, जिसका विनिश्चयन सक्षम न्यायालय से सम्यक रीति से आपेक्षित है ।

10– उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि संहिता की धारा 109, 110 के उपबंधो के अनुसार न तो कोई नामांतरण प्रमाणित किया गया न तो विधि अनुसार कोई नामांतरण हुआ है । निगरानीकर्ता की तरफ से तर्क किया गया कि पुनः सभी बिन्दुओं पर जॉच करके साक्ष्य उपरांत निर्णय देने के लिए प्रकरण प्रत्यावर्तित किया जाय । पर यह नही दर्शाया गया कि पुनः कलेक्टर द्वारा निर्णय में जो निष्कर्ष दिया गया है उसे क्यो अपास्त किया जाय । यह स्पष्ट है कि कलेक्टर न्यायालय में एक दूसरी समानान्तर रूप से नामांतरण पंजी की नकल निगरानीकर्ता की ओर से पेश कराई गई थी, किन्तु अन्य

कोई साक्ष्य पेश नही कराई गई । जबकि कलेक्टर न्यायालय ने तीन बार मामला दीर्घकाल तक प्रचलित रहा । कलेक्टर के पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया गया कि आवेदिका की ओर से बार–बार तर्क हेतु समय चाहा गया और न्यायालय द्वारा समय भी दिया गया ।

11– संहिता की धारा 50 के अधीन तथ्यों के सम्बन्ध में विवादित बिन्दुओं का विनिश्चय करने का अति सीमित अधिकार है । नामांतरण के बिन्दु पर जो निष्कर्ष कलेक्टर द्वारा दिया गया है वह विधि अनुसार है । साथ ही पक्षकारो के मध्य नामांतरण के बिन्दु पर मामला 30 वर्ष से अधिक समय से चल रहा है ऐसी स्थिति में बार–बार उसी बिन्दु पर मामला प्रत्यावर्तित करने का कोई औचित्य नही है । यदि निगरानीकर्ता स्वत्व के सम्बन्ध में कोई अधिकार समझती है, तो सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष रख सकती है, किन्तु जो अवैध नामांतरण प्रमाणित था उसे उपरोक्तानुसार सकारण निरस्त किया गया है उसमें हस्ताक्षेप का कोई सारवान आधार नही है ।

उपरोक्तानुसार निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है ।

23/7/18

(आर0के0 मिश्रा)
सदस्य,
म0प्र0 राजस्व मण्डल